पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 5497 दिनांकः–18.07.2016

विद्या परिषद् बैठक दिनांक 11.07.2016 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 11.07.2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की द्वितीय बैठक परीक्षा नियंत्रक कक्ष में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे –

1.	श्री के.बी. गुप्ता	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ. गोपाल सिंह कलवानियां	सदस्य (संकायाध्यक्ष विज्ञान)
3.	डॉ. एम. जेड. कुरेशी	सदस्य (संकायाध्यक्ष वाणिज्य)
4.	डॉ. दिलसुख थालौड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष विधि)
5.	डॉ. राकेश कुमार	सदस्य (संकायाध्यक्ष शिक्षा)
6.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार	सदस्य (व्याख्याता, राज. महा. सीकर)
7.	श्री रामस्वरूप जाखड़	सदस्य (व्याख्याता, एम.डी. विज्ञान महा., झुंझुनू)
8.	डॉ. मदन सिंह पूनिया	परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)
9.	श्री कैलाश चन्द सांखला	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

बिन्दू सं0	बिन्दू विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	गत बैठक दिनांक 14.10.2015 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट	गत बैठक के बिन्दु संख्या 1 का ii में "समकक्षता समिति के सामने दो प्रकरण आये, जिनमें एक बी. एड. से संबंधित था तथा दूसरा बी.एससी. से संबंधित था, का निस्तारण कर लिया गया", को जोड़ते हुए संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।
2.	अध्ययन मण्डल की उपसमितियों, सी.ओ.सी. प्रथम सेमेस्टर सी.ओ.सी. की उपसमितियों के गठन का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा बी.ओ.एस. /सी.ओ.सी. में जो पदाधिकारी (संयोजक/सदस्य) सेवानिवृत हो गये हैं, उनके स्थान पर इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों से वरीयता सूची के अनुसार मनोनीत किये जाने की अनुशंषा की तथा उनका अनुमोदन आगामी बैठक में करवा लिया जाये।
3.	प्रथम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों व परीक्षा समय सारणियों तथा	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2017

	प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों का अनुमोदन।	
4.	वार्षिक परीक्षा, 2016 के लिए परीक्षा केन्द्र हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र शुल्क जमा नहीं करवाने वाले महाविद्यालयों के संबंध में विचार विमर्श।	वार्षिक परीक्षा, 2017 के संबंध में अनुशंषा की गयी– 1. जिन महाविद्यालयों ने वार्षिक परीक्षा, 2016 के परीक्षा केन्द्र के लिए 30000 रू. जमा करवाये हैं एवं जो परीक्षा, 2016 के लिए केन्द्र थे, उनसे 15000 रू. लिये जावें। 2. जिन महाविद्यालयों ने वार्षिक परीक्षा, 2016 के लिए परीक्षा केन्द्र शुल्क जमा नहीं करवाया है, उनसे 30000+15000=45000 रू. लिये जावें। 3. राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थायी परीक्षा केन्द्रों से एक बार 30000 रू. परीक्षा केन्द्र शुल्क के रूप में जमा कर इस विश्वविद्यालय का स्थायी परीक्षा केन्द्र मान लिया जावे। 4. परीक्षा, 2017 के लिए नये परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन करने वाले/बनने वाले महाविद्यालयों से परीक्षा केन्द्र शुल्क के रूप में 30000 रू. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ही लिये जावें। 5. सरकारी महाविद्यालयों से नवीन परीक्षा केन्द्र के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप परीक्षा केन्द्र शुल्क लिया जावे। 6. माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, 2017 की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे की बाध्यता को लागू किया जावे। परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण वार्षिक परीक्षा, 2017 प्रारम्भ होने से पूर्व ही कर लिया जावे।
5.	चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.ए.–बी.एड./बी.एसी.–बी.एड. एवं तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड. के लिए जारी की गई NOC का अनुमोदन।	उच्च शिक्षा ग्रुप–4 के आदेश क्रमांक एफ. 31(1)शिक्षा–4/2015 दिनांक 21.12.2015, दिनांक 08.01.2016 एवं दिनांक 23.02.2016, दिनांक 12.03.2016 की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई NOC का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	सत्र 2016–17 में स्नातक प्रथम व द्वितीय, स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उतरार्द्ध तथा बी.एड. दो वर्षीय, एम.एड. दो वर्षीय, LL.M., B.B.A. I & II Sem., B.C.A. I & II Sem., PGDCA, M.Sc. (IT) आदि के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के ग्रहण पाठ्यक्रम को अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तावित किया गया। जिस पर अनुमोदन हेतु चर्चा।	अध्ययन मण्डल के सर्वसम्मति के निर्णय की सत्र 2016–17 के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पाठ्यक्रम को हूबहू ग्रहण करना अनुमोदित किया गया।

२/१/२।

7.	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 2015 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पद स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा।	शैक्षणिक विभाग खोलने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे तथा विभाग खुलने पर जब तक विश्वविद्यालय का स्थायी भवन तैयार नहीं होता है, तो बंद हुए सरकारी विद्यालय भवन को लेने का प्रस्ताव लिया गया।
8.	विश्वविद्यालय में शोध कार्य सत्र 2016–17 से प्रारम्भ किये जाने पर विचार विमर्श।	शोध कार्य शुरू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। क्षेत्राधिकार के राजकीय महाविद्यालय से शोध का अनुभव रखने वाले प्राचार्य/व्याख्याताओं को शोध निदेशक बनाकर शोध शाखा विकसित की जावे तथा इसके लिए प्रस्ताव भेजा जावे।
9.	शैक्षणिक विभाग खुलवाने पर चर्चा।	प्रारम्भ में निम्नांकित Job oriented Departments शुरू किये जावे– 1. MBA 2. Psychology 3. European Language 4. Insurance 5. Cyber Crime
10.	सम्बद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के अनुमोदन पर चर्चा।	पूर्व में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/व्याख्याताओं अनुमोदन किया गया। परन्तु यह शर्त लगायी कि इन महाविद्यालयों के अनुमोदित प्राचार्य/स्टाफ की शिकायत आने पर जांच करवायी जावे।
11.	EPMC के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले संकायाध्यक्षों के सेवानिवृत (प्रो0 एच.आर. ईसरान, प्रो0 बाबूलाल जांगिड़) होने से रिक्त हुये पद पर अन्य संकायाध्यक्षों का सदस्य के रूप में मनोनयन करने पर चर्चा।	इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों से वरीयता सूची के अनुसार Deans मनोनीत किये जावें, Deans में से ही EPMC के सदस्य के रूप में मनोनीत माने जावें।
12.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु– 1. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक में से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ही 4+1=5% की कटौती करना 2. स्नातक प्रथम वर्ष 2016 पूर्व के Ex-Students की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा	1. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक में से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ही 4+1=5% की कटौती करने के बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पता लगाया जावे कि इसका प्रबन्धन किस इकाई के द्वारा एवं कैसे किया जाता है। 2. स्नातक प्रथम वर्ष 2016 पूर्व के Ex-Students की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही सम्पन्न करवाई जाने की अनुशंषा की।

२७।२।
कुलसचिव